

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: ब्लाक नं.2, पार्वति भवन, रामपुर, जबलपुर-482008

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/ 22887

दिनांक 18.12.2013

आदेश

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/2288 दिनांक 29.07.2013 के अनुसार सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों, जिसमें म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को 80% की दर से मंहगाई राहत देय है। इस तारतम्य में कम्पनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जुलाई 2013 से निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत देय होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01.07.2013	पेंशन/परिवार पेंशन का 90%

2. मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा।
3. पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी।

आदेशानुसार

Woo

(के.के. सक्सेना)

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आईटी)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/ 22888
प्रतिलिपि-

दिनांक 18.12.2013

- 1 अवर सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2 मुख्य अभियंता (मा.सं.वि.सं.)/ (टी.एण्ड सी.)/ (प्रोक्योरमेंट)/ (योजना एवं रूपांकन)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण एवं निरीक्षण)/ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/ (सिविल-ट्रांसमिशन)/ (सी.आर.ए.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

क्रमशः . . . 2

3. मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.)/(एच.आर.)/(एच.आर.एंड ए.), म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि./म.प्र. मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/ भोपाल/ इंदौर ।
4. कार्यपालक निदेशक (एच.आर.एण्ड ए.) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर ।
5. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन स्टोर), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ।
7. अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण)/400 के.व्ही. उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि.,
8. संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ।
9. मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, प्लाट नं. सी-19, 'E' ब्लाक, प्रकाशगंगा, 7वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई-400051.
10. अति. महाप्रबंधक(मा.स.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, रायपुर
11. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/(संचार)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण)/ (उपकेन्द्र)/ (कर्मशाला)/(400 के.व्ही. परीक्षण) संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
12. उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ।
13. कल्याण अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ।
14. निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ।
15. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर ।
16. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/(के.आई.ई.)/म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड/म.प्र.पावर मैनेजमेंट/जनरेटिंग कं. लि.,
17. वेब मास्टर ।

टीप :- सरल क्रं.3 एवं 4 के लिये ।

- अनुरोध है, कि अपने अधीनस्थ अर्थात् समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के कियान्वयन हेतु वाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें ।

(के.के. श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियंता

कार्या.- मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आईटी)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर ।